Regarding protecting the interest of 25 lakh Teachers in view of RTE act

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । देशभर में जो शिक्षक हैं, उनके एक प्रश्न को आज बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है । 25 लाख शिक्षकों का भविष्य इस पर निर्भर है । टीईटी, टीचर्स इलिजिब्लिटी टेस्ट, आरटीई लागू होने के बाद तैयार किया गया और देशभर में 53 साल से कम आयु के जो शिक्षक हैं, उन सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा । ऐसा निर्णय केन्द्र शासन के माध्यम से दिया गया है । आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है । बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है । कुछ लोग कोर्ट में गए हुए हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई शिक्षक इस टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो उनको बडतर्फ करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है । कोर्ट में जाने की वजह से यह डेडलॉक हो गया है, मैं केन्द्र सरकार से गुहार करना चाहूंगा कि ये सारे शिक्षक अपने-अपने स्थानिक टेस्ट पास करके वहां पर रिक्रूट हुए हैं, तो केन्द्र सरकार इनकी पार्टी बनकर कोर्ट में जाए । हर एक के क्षेत्र में यह समस्या आई हुई है । हम चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडिविट लेकर इन लोगों पर अन्याय न हो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले और उनको राहत देने का काम करे ।